HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16880/2025

Mohammad Sohil S/o Ali Khan, Aged About 22 Years, R/o Fakiro Ka Mohalla, Pachar, Police Station Kalwar, District Jaipur, Rajasthan.
(Accused Petitioner Is In Confinement At Central Jail Jaipur).

----Accused/Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Manoj Ojla
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, PP Mr. Amit Jindal

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

25/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना करणी विहार जिला जयपुर (पश्चिम) ग्रामीण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 607/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 338, 336(2), 340(2), 61(2)(ए), 303(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त विक्रय पत्र दिनांक 15.01.2025 का साक्षी है, जिसमें उसने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 15.01.2025 को पट्टे के आधार पर रमेश कुमार दुलारिया ने राजेन्द्र सिंह पूनिया को वादग्रस्त संपत्ति विक्रय की है। पट्टे पर प्रार्थी/अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं हैं, उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 19.11.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आपराधिक प्रकरण नहीं हैं। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः

प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक तथा विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि फर्जी पट्टे के आधार पर दिए गए विक्रय पत्र में अन्य सहअभियुक्तगण के साथ प्रार्थी/अभियुक्त भी अपराधी रहा है, उसके द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है। इस संबंध में न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13.01.2026 में विस्तृत रूप से उल्लेखित किया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में तथ्यों के अनुसार रमेश कुमार दुलारिया ने राजेन्द्र सिंह पूनिया को विक्रय पत्र दिनांक 15.01.2025 में अंकित प्लॉट विक्रय किया और विक्रय पत्र दिनांक 15.01.2025 में साक्षी के रूप में प्रार्थी/अभियुक्त ने हस्ताक्षर किए। इसके अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त का कोई अन्य आपराधिक भूमिका सामने नहीं आयी है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अन्य कोई अपराध विचाराधीन नहीं है, उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 19.11.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **मोहम्मद सोहिल पुत्र अलीखान** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति

हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /27